भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3518

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

खनन क्षेत्र के श्रमिकों हेतु श्वसन संबंधी निगरानी प्रणाली

†3518. श्री अरुण भारतीः

श्रीमती शांभवीः

श्री राजेश वर्माः

डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

श्री अतुल गर्गः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खनन श्रमिकों में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य के दीर्घकालिक मापदंडों की निगरानी हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य रजिस्ट्री का संचालन आरंभ कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वास्तविक समय में विषैली गैस के संपर्क के खतरे का पता लगाने के लिए मई 2026 में तैनात की गई निर्बाध पहनने योग्य सेंसर प्रणालियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च जोखिम वाले पर्यावरणीय बदलावों के दौरान क्षेत्रीय चिकित्सा इकाइयों को तुरंत सचेत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के भीतर स्थापित संरचनात्मक निरीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्थानीयकृत चिकित्सा जांच केंद्रों का प्रबंधन करने वाली सहकारी खनन समितियों को लक्षित कार्य-निष्पादन से जुड़े स्वास्थ्य अवसंरचना अनुदान संवितरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा बाधा रहित विशिष्ट अस्पताल स्थानांतरण हेतु उक्त श्रमिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को केंद्रीय ईएसआई डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त सक्रिय डिजिटल निगरानी नेटवर्क की राष्ट्रव्यापी स्थापना के बाद व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक नुकसानदायक दुर्घटनाओं में अनुमानित कमी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): केंद्र सरकार ने खनन कार्य में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओ को विनियमित करने के लिए उपजीविकजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी), 2020 अधिनियमित की है, जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई है। केंद्र सरकार ने दिनांक 08.05.2026 को ओएसएच एंड डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियम, 2026 भी अधिसूचित किए हैं।

जारी..2/-

इस संहिता की तीसरी अनुसूची में कोयला खनिकों के न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस आदि सहित उनतीस (29) उल्लेखनीय बीमारियों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।

ओएसएच एंड डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियमावली के नियम 8 यह अधिदेशित करता है कि जब भी कोई कामगार संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी बीमारी से ग्रसित होता है, तो नियोक्ता निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता या मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को नोटिस भेजेगा।

ओएसएच एंड डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियमवली, 2026 का नियम 109 यह भी अनिवार्य करता है कि प्रत्येक खान का नियोक्ता रोजगार चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की प्रारंभिक चिकित्सा जांच के साथ-साथ वार्षिक आवधिक चिकित्सा जांच की व्यवस्था करेगा। जिन मामलों में चिकित्सा जांच प्राधिकारी धूल से संबंधित संदिग्ध बीमारियों की पुष्टि करता है, उनमें नियोक्ता थोड़े-थोड़े अन्तरालों पर एक्स-रे चिकित्सा जांच या आवश्यकतानुसार दोनों की व्यवस्था करेगा। प्रभावित कामगार के मामले में, नियोक्ता सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 यथा विहित नियोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, सुरक्षित और जोखिम मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने, उपजीविकाजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों को बनाए रखने, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), कल्याणकारी सुविधाएं, आपातकालीन तत्परता, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन व्यवस्था और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य करती है।

ईएसआईसी के साथ पंजीकृत कामगारों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड ईएसआईसी के धन्वंतरि पोर्टल पर रखे जाते हैं।
